सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 1230 / 1024 / 2014 दिनांकः– 02.08.2016

के मामले में

श्रीमती ज्योति,
पत्नी श्री रंजीत सिंह भारती,
98 / 4, बाबू पुखा कालोनी,
किदवई नगर, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश – 208023 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

महाप्रबन्धक (मा.स.प्र.),
बैंक ऑफ बड़ौदा,
बड़ौदा कार्पोरेट सैन्टर,
सी–26, जी–ब्लॉक,
बान्द्रा कुला कम्पलैक्स,
मुम्बई–400 051 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 26.05.2016

उपस्थितः
1. श्रीमती ज्योति, शिकायतकर्ता
2. सर्वश्री ए. शंकर नारायणन, सी.एम. त्रिपाठी, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्रीमती ज्योति पत्नी श्री रंजीत सिंह भारती, 55% अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत बैंक प्रबन्धन द्वारा उनके पति के साथ भेदभाव करने / यातनांए देने और नजदीकी शाखा किदवई नगर में स्थानान्तरण नहीं करने से संबंधित शिकायत पत्र दिनांक 28.03.2014 प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पति की बैंक ऑफ बड़ौदा में दिनांक 01.05.2002 को नियुक्ति हुई थी । कुमियावां शाखा में तैनाती के दौरान दिनांक 13.10. 2005 को उनके पति एक भयंकर दुर्घटना के शिकार हो गए । परिणामस्वरूप उनका दाहिना हिस्सा 55 प्रतिशत अपंग हो गया । उनके पति की दिक्कतों को देखते हुए

.....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

उनका स्थानान्तरण कुमियावां शाखा से किदवई नगर शाखा में कर दिया गया । बैंक की स्थानान्तरण नीति के अनुसार 5 वर्ष कार्य करने के बाद सितम्बर, 2012 में उनका स्थानान्तरण घर के समीप बाकरगंज शाखा में किया गया । शाखा प्रबन्धक, बाकरगंज शाखा जाति भेदभाव रखते हुए दुर्व्यवहार करते हैं और लगातार अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कैश काउण्टर पर डयूटी करने का दबाव डालते हैं जबकि कैश काउन्टिंग हेतु दोनों हाथों से कार्य संभव है परन्तु उनके पति का दाहिना हाथ विकलांग है । इसी वजह से उनके पति का शाखा में कोई डयूटी एलोकेशन नहीं किया है । जाति भेदभाव व शोषण के उद्देश्य से शाखा प्रबन्धक श्री के. के. शुक्ला, संयुक्त प्रबन्धक, श्रीमती सुषमा मिश्रा व लिपिक श्री सी.बी. तिवारी द्वारा प्रायः जाति सूचक शब्दों से उनके पति को अपमानित किया जाता है और ग्राहकों से झूठी शिकायते पिछली तारीखों में कराई जाती हैं । परन्तु आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रतीत होती है । उनके 71 वर्षीय वृद्ध ससुर दिनांक 31.03.2014 को उनके पति का चिकित्सीय अवकाश का प्रार्थना पत्र लेकर बैंक शाखा बाकरगंज गए तो शाखा प्रबन्धक ने उन्हें अपमानित करते हुए प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिया । प्रार्थी के पति और ससुर को बहुत मानसिक आघात पहुंचा है । शाखा प्रबन्धक ने उनके पति द्वारा लिए गए हाउसिंग ऋण पर सौ–सौ रूपए के चार खाली स्टाम्प पेपरों पर दिनांक 06.02.2014 को हस्ताक्षर करवा लिए और जाति भेदभाव के कारण व पक्षपातपूर्ण व्यवहारवश तथा झूठी शिकायते उच्च अधिकारियों से करके उनके पति का स्थानान्तरण सी.सी.जे.एम. विश्वविद्यालय शाखा कानपुर नगर में दिनांक 10.03.2014 को करवा दिया। परन्तु उनके घर से विश्वविद्यालय शाखा लगभग 20–25 किलोमीटर दूर होने के कारण इन्हें कई चौराहों व भीड़ पर व्यस्तम राजमार्ग जी.टी.रोड से गुजरना पड़ता है और कई साधन बदलने पड़ते हैं जोकि बहुत जोखिम भरा है । विवश होकर चिकित्सक को दिखाने पर चिकित्सक ने डिस्क स्लिप बताया और स्ट्रिक्ट बैड रेस्ट की सलाह दी है । अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए घर के समीप स्थानान्तरण हेतु दिनांक 14.03.2014 को आवेदन पत्र दिया है । प्रार्थिनी ने अनुरोध किया कि बैंक प्रबन्धक की भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण व अपमानजनक कार्यवाही से मुक्ति दिलाकर उनके पति को निवास के समीप बाकरगंज शाखा या बिनोवानगर शाखा में नियुक्ति प्रदान करायी जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 25.07.2014 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 03.09.2014 द्वारा निवेदन किया कि शिकायतकर्ता का पति श्री रणजीत सिंह भारती दिनांक 03.09.2012 से बाकरगंज शाखा में कार्यरत थे

जोकि उनके निवास–स्थान के समीप था । तत्पश्चात् अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत पर उनका अस्थायी तौर पर 15.03.2014 को अस्थायी तौर पर सीएसजेएम विश्वविद्यालय शाखा, कानपुर कर दिया गया था जोकि शहर में है और वहां काम की मात्रा कम है। तथापि, श्री भारती 18.03.2014 से 12.04.2014 तक छुट्टी पर रहे । उनके प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2014 पर उनकी पोस्टिंग विनोवा नगर शाखा में कर दी गई जोकि उनके निवास–स्थान के समीप है । श्री भारती ने अपना कार्यभार दिनांक 23.04.2014 को संभाला । शिकायतकर्ता श्रीमती भारती का यह आरोप कि उनके पति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव अथवा उत्पीड़न किया जा रहा है, आधाररहित, गलत और असत्य है और पूर्व अवसरों पर उनको अपने व्यवहार और कार्य में सुधार लाने की सलाह दी गई है ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 03.09.2014 की एक प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 09.10.2014 द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 22.10.2014 एवं 27.12.2014 द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी बैंक द्वारा दी गई सूचना वास्तविकता से परे है जो एक विकलांग एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी का मात्र उत्पीड़न करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए दिया गया है । भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 19.11.2008 के अनुसार विकलांग कर्मचारियों को एक कलेंडर वर्ष में 4 विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है, परन्तु बैंक प्रशासन ने यह कहते हुए कि 'विकलांग व्यक्ति कर्मचारियों को कोई विशेष अवकाश नहीं, उनके आवेदित प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया । इसी प्रकार उनके घरेलू इलाज के बिलों का भुगतान बैंक द्वारा जोकि अभी भी किया जा रहा है परन्तु 15.01.2006 से 31.08.2006 तक के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया तथा 16.12.2014 को 15,73/– रूपए का चिकित्सीय बिल यह कहते हुए अस्वीकार दिया कि अस्पताल में भर्ती स्कीम के अन्तर्गत मेडिकल बिल समय सीमा समाप्त अवधि से संबंधित है । बैंक का यह कथन कि उनके पति के प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2014 के आधार पर समीप की शाखा बिनोवा नगर, कानपुर में स्थानान्तरण किया गया, पूर्णतया असत्य है । अंत में उन्होंने अनुरोध किया कि उनके पति के मामले में हुए उत्पीड़न पर न्यायोचित कार्रवाई करके न्याय दिलाया जाए।

7. शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 22.10.2014 एवं 27.12.2014 की प्रतियां प्रतिवादी को उनके टिप्पण हेतु इस न्यायालय के पत्र दिनांक 15.01.2015 द्वारा भेजी गई थीं ।

....4/–

8. प्रतिवादी बैंक ने अपने पत्र दिनांक 13.02.2015 द्वारा शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 22.10.2014 और 27.12.2014 का पैरावाइज़ उत्तर दिया जिसकी एक प्रति इस न्यायालय के पत्र दिनांक 18.05.2015 द्वारा शिकायतकर्ता को भेजी गई । शिकायतकर्ता से प्राप्त रिज्वाइंडर दिनांक 31.07.2015 की प्रति इस न्यायालय के पत्र दिनांक 16.10.2015 द्वारा प्रतिवादी को उनके टिप्पण हेतु भेजी गई । प्रतिवादी ने अपने टिप्पण उनके पत्र दिनांक 09.11.2015 द्वारा इस न्यायालय को भेजे ।

9. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.01.2016 द्वारा अपने टिप्पण इस न्यायालय को भेजते हुए अवगत कराया है कि बैंक प्रशासन अभी भी पूर्व की भांति तथ्यों एवं सूचनाओं को मनगढ़त रूप से तोड़–मरोड़ कर इस न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा है । बैंक के उक्त कृत्य से उनके पति हीन–भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं क्योंकि बैंक प्रशासन द्वारा उन्हें मौखिक रूप एवं टेलिफोन से दुष्परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है ।

10. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 09.11.2015 एवं शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 23.01.2016 के मद्देनज़र सुनवाई दिनांक 26.05.2016 को निर्धारित की गई ।

11. दिनांक 26.05.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनो को दोहराया और निवेदन किया कि उनके पति के विरूद्ध मौखिक शिकायत के आधार पर उनका स्थानान्तरण सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कल्याणपुर कर दिया गया था, फिर अचानक लिखित शिकायत का उल्लेख दिनांक 28.03.2014 को किया गया । शाखा में तैनात तीनों कर्मचारियों द्वारा उनके पति के विरूद्ध द्वेष–भावनावश बयान दिए गए । उनके पति बैंक प्रशासन के नियमानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए अपने कार्यो का निष्पादन करते रहें है । उनके पति को वर्ष 2014 के लिए पूर्व में आवेदित दिनांक 22.11.2014 तथा 9.03.2015 को अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया था और वर्ष 2015 तथा 2016 के लिए आवेदित अवकाश पत्र दिनांक 3.08.2015 तथा 23.12.2015 का अवकाश भी बैंक प्रशासन द्वारा अभी भी स्वीकृत नहीं किया गया है । उनके पति का मेडिकल बिल 15.01.2006 से 31.08.2006 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । उनका लास ऑफ पे 251 दिनों का कन्वर्ट कर दिया जाए । वर्ष 2015 और वर्ष 2016 की उनकी विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जाए । उनके वाहन भत्ते का भुगतान किया जाए ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो ।

....5/–

12. प्रतिवादी ने निवेदन किया कि उपभोक्ताओं एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके विरूद्ध की गई शिकायतों पर उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया है । उन शिकायतों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । उनके विरूद्ध कोई आरोप–पत्र जारी नहीं किया जाएगा । शिकायतकर्ता के पति द्वारा चिकित्सा बिलों की प्रतियां दोबारा प्रस्तुत करने पर उनके चिकित्सा बिलों की जांच करने के पश्चात् उनका भुगतान कर दिया जाएगा । उनकी छुट्टियां नियमानुसार मंजूर की जाएंगी । शिकायतकर्ता अपने वर्तमान कार्य स्थान से संतुष्ट है और यहां से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक नहीं है ।

13. दोनों पक्षकारो को सुनने और फाइल पर रखे गए अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है:–

1. <u>स्थानान्तरण</u> – शिकायतकर्ता का पति वर्तमान तैनाती के स्थान से संतुष्ट है और वह किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण नहीं चाहता है । अतः मामले में आगे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

2. <u>चिकित्सा बिलों की अदायगी</u> – प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के पति के चिकित्सा बिलों की प्रतियां सुनवाई के दौरान दे दी गई है । प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार चिकित्सा बिलों की जांच कर इस आदेश के मिलने के 30 दिनों के अन्दर उनका भुगतान करें तथा इसकी सूचना मुख्य आयुक्त कार्यालय को दें ।

3. <u>छुट्टियों की मंजूरी</u> – प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता के पति की मेडिकल छुट्टियों /विशेष आकस्मिक छुट्टियों के आवेदनों पर वर्तमान नियमों के अनुसार विचार करें और बोर्ड द्वारा स्वीकृत वर्तमान पालिसी के अनुसार छुट्टियां मंजूर करें ।

4. <u>पूर्ववर्ती शिकायतें</u> – सुनवाई के दौरान न्यायालय में दिए गए शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता के पति की निजी फाइल अथवा सेवा पंजी में उनके पति के विरूद्ध प्रविष्टियां की गई हैं तो वे उन पर नियमानुसार विचार करते हुए सेवा पंजी से उनको हटा दें ।

14. उपरोक्त निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन